

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पालिका परिषद बदायूँ

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 02 दिसम्बर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या - 37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 1080/27-152/2022-23, दिनांक- 14.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद, बदायूँ में एस0टी0पी0 एवं आई0 एण्ड डी0 अधिष्ठापन कार्यो हेतु भूमि क्रय किये जाने के संबंध में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत धनराशि रू 413.17 लाख हेतु स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पालिका परिषद, बदायूँ हेतु कुल धनराशि रू 413.17 लाख (रू 0 चार करोड तेरह लाख सत्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं एकमुश्त धनराशि रू 413.17 लाख (रू 0 चार करोड तेरह लाख सत्रह हजार मात्र) अनुदान संख्या-37, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

अनुदान संख्या -37

(धनराशि लाख रूपये में)

निकाय का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	निर्गत की जा रही धनराशि
नगर पालिका परिषद बदायूँ जनपद- बदायूँ	एस0टी0पी0 एवं आई0 एण्ड डी0 अधिष्ठापन कार्यों हेतु भूमि क्रय के संबंध में	413.17	413.17	413.17
योग		413.17	413.17	413.17

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है , जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
- (3) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है , जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा , जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जाएगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय /कार्यदायी संस्था का होगा सामग्री /उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।
- (5) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय -12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय कार्यदायी संस्था का होगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/ समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससयम पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (7) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात प दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जाएगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय , उ 0 प्र 0 लखनऊ के माध्यम से सचिव /प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग /वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय -समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समपबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। सामग्री /उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या - 1383/9-9-14-94 3/14 दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या - 227/2015/1689 नो -8-2015-96/2015 दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा -निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (10) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना , कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टिया इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायगा।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (दुप्लीकेसी) (को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पड़ कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों /सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (14) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है , उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जाएगा।
- (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति , जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व

File No.9-9099/293/2023- -9-

सम्बन्धित निकाय /कार्यदायी संस्था का होगा प्रायोजन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकत अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ करवा जाना अनिवार्य होगा।

(17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या - 10/2023/ बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(18) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31-03-2024 तक की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस 0 सी 0 एस 0 टी 0 टी 0 एस 0 सी 0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,13,17,000 (रुपये चार करोड़ तेरह लाख सत्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021920500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित शासनादेश दिनांक- 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by

मोहन मदन कसिफ

Date: 01-12-2023 18:30:24

अन मन्त्रि।
Reason: Approved

RF961/नं-9-१३

संख्या- ९३ /2023/ R.F- / -E-1764944, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)।
8. नगर विकास अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन ।

9. कोषाधिकारी, बदायूँ ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. वेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-02/12/2023

प्रेषण संख्या:- 93
आवंटन आदेश संख्या:- 001-93-2023-RF961-9-9-23-E-1764944
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बदायूं-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	41317000	41317000
		प्रगामी	41317000	41317000
	योग	वर्तमान	41317000	41317000
		प्रगामी	41317000	41317000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ तेरह लाख सत्रह हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ तेरह लाख सत्रह हजार


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव